/राज्य सभा/

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 28, 1944
सोमवारः 19 दिसंबर 2022

रक्षा क्षेत्र में आयात एवं निर्यात

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक बजट प्राक्कलन (बीई), संशोधित प्राक्कलन (आरई) में रक्षा मंत्रालय (सभी चार अनुदान) के लिए प्रदत्त निवल बजट का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन आवंटन	संशोधित प्राक्कलन आवंटन
2017-18	3,59,854.12	3,74,003.85
2018-19	4,04,364.71	4,05,193.85
2019-20	4,31,010.79	4,48,820.10
2020-21	4,71,378.00	4,84,736.06
2021-22	4,78,195.62	5,02,883.54
2022-23	5,25,166.15	----

वर्ष 2017 से 2022 तक रक्षा क्षेत्र में किए गए आयात और निर्यात की मात्रा का ब्यौरा वर्ष-वार नीचे तालिका में दिया गया है :-

आयात	**(रु. करोड़ में)**
वर्ष	**विदेशी अधिप्राप्ति ***
2017-18	37,030.89
2018-19	45,705.57
2019-20	47,961.47
2020-21	53,118.58
2021-22	50,061.68

* विदेशी अधिप्राप्ति में राजस्व और पूंजीगत खंडों दोनों के तहत रक्षा भण्डारण/उपस्करों की खरीद के लिए की गई अधिप्राप्तियां शामिल हैं ।

निर्यात	**(रु. करोड़ में)**
वर्ष	**जारी अनुमोदनों का निर्यात मूल्य**

2017-18	4,682
2018-19	10,746
2019-20	9,116
2020-21	8,435
2021-22	12,815

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज राज्य सभा में **श्री घनश्याम तिवाड़ी** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी राज्य सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीएस

/राज्य सभा/

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 28, 1944

सोमवारः 19 दिसंबर 2022

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

विगत पांच वर्षों के दौरान सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्मित की गई सड़कों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लम्बाई निम्नवत है:-

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मित सड़कों की लम्बाई (कि.मी में)
1.	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	760.331
2.	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	723.056
3.	अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	5.957
4.	उत्तराखंड	479.903
5.	अरूणाचल प्रदेश	664.099
6.	मिज़ोरम	69.897
7.	नागालैंड	37.036
8.	मणिपुर	72.594
9.	सिक्किम	258.42
10.	पश्चिम बंगाल	28.713
11.	हिमाचल प्रदेश	277.263
12.	राजस्थान	551.896
13.	पंजाब	61.32
	कुल	**3990.485**

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज राज्य सभा में **श्री घनश्याम तिवाड़ी** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी राज्य सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीएस

/राज्य सभा/

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 28, 1944

सोमवारः 19 दिसंबर 2022

देश में नए सैनिक स्कूल

देश में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की नई पहल के तहत रक्षा मंत्रालय द्वारा नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए निधि का आवंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस पहल में स्कूल को स्थापित करने वाली और संचालित करने वाली संस्था (राज्य सरकार/निजी क्षेत्र/ट्रस्ट/सोसाइटी/एनजीओ) के द्वारा साझेदारी माध्यम से नए सैनिक स्कूलों के लिए निर्धारित किए गए सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और अन्य आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाना शामिल है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा व्यय किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, अनुमोदित स्कूल के लिए कक्षा की क्षमता के 50% तक (प्रति वर्ष प्रति कक्षा 50 छात्रों की अधिकतम सीमा के अध्यधीन) के लिए 50% तक का शुल्क सहयोग (प्रति वर्ष प्रति छात्र 40,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन) योग्यता-सह-साधन के आधार पर वार्षिक सहायता सैनिक स्कूल सोसाइटी के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्व पैटर्न के तहत 07 सैनिक स्कूलों को अनुमोदित, प्रारंभ और संचालनरत किया गया है । जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य में पूर्व पैटर्न के तहत कोई भी सैनिक स्कूल नहीं खोला गया अथवा संचालन में लाया गया है । हालांकि, 100 नए सैनिक स्कूलों को स्थापित करने के लिए भारत सरकार की नई पहल के तहत साझेदारी माध्यम से 18 नए सैनिक स्कूलों सहित सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें से हरियाणा राज्य के 02 स्कूलों सहित 17 स्कूलों में अकादमिक वर्ष 2022-23 से कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज राज्य सभा में **श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी राज्य सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीएस

/राज्य सभा/

pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 28, 1944
सोमवारः 19 दिसंबर 2022

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

सरकार ने देश में रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहलें की हैं और देश में रक्षा विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार किए हैं । इन पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा अर्जन प्रक्रिया (डीएपी)- 2020 के तहत घरेलू स्रोतों से खरीदो भारतीय (आईडीडीएम) श्रेणी में आने वाली पूंजीगत मदों की अधिप्राप्ति को प्राथमिकता प्रदान करना; सेनाओं की कुल 411 मदों की चार 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां' और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) की कुल 3738 मदों की तीन 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां' अधिसूचित करना जिसके लिए उनके समक्ष दर्शाई गई समय-सीमा से आगे आयात पर प्रतिबंध होगा; लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण; औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाली रक्षा उत्पाद सूची को तर्कसंगत बनाना; स्वचालित रूट के तहत 74 प्रतिशत एफडीआई अनुमत करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का उदारीकरण; मेक प्रक्रिया का सरलीकरण; मिशन डेफस्पेस की शुरूआत; स्टार्ट अप्स और सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) को शामिल करके रक्षा उत्कृष्टता (आईडेक्स) योजना के लिए नवाचारों की शुरूआत; लोक अधिप्राप्ति (भारत में निर्माण को प्राथमिकता) आदेश 2017 का कार्यान्वयन; एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण की सुविधा के लिए सृजन नामक एक स्वदेशीकरण पोर्टल की शुरूआत; उच्च मल्टीप्लायर्स प्रदान करके रक्षा विनिर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर देने के साथ ऑफसेट नीति में सुधार और दो रक्षा औद्योगिक गलियारों अर्थात उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु प्रत्येक में एक-एक की स्थापना; उद्योग संचालित आरएंडडी के लिए 25 प्रतिशत रक्षा आरएंडडी बजट आवंटित करना और घरेलू

स्रोतों से अधिप्राप्ति के लिए सैन्य आधुनिकीकरण के रक्षा बजट आवंटन में निरंतर वृद्धि करना आदि शामिल हैं ।

अब हमारा रक्षा उद्योग टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों, मिसाइलों, इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों, विशेष मिश्र धातुओं, विशेष प्रयोजन वाले इस्पातों और विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद जैसी उच्च प्राथमिकता वाली विभिन्न आवश्यकताओं का विनिर्माण करने में सक्षम है । हमारी सशस्त्र सेनाओं द्वारा अपेक्षित रक्षा उपस्करों का देश के अंदर विनिर्माण करने में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में काफी प्रगति हुई है । इन पहलों के परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में 155 एमएम आर्टिलरी गन सिस्टम 'धनुष', हल्के युद्धक विमान 'तेजस', सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली 'आकाश', मुख्य युद्ध टैंक 'अर्जुन', टी-90 टैंक, टी-72 टैंक, आर्मर्ड पर्सनेल कैरियर 'बीएमपी-II/IIके', सुखोई-30 एमके1, चीता हेलीकॉप्टर, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, डार्नियर डीओ-228, हाई मोबिलिटी ट्रक्स, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस चेन्नई, पनडुब्बी-रोधी वारफेयर कार्वेट (एएसडब्ल्यूसी), अर्जुन कवचित मरम्मत एवं रिकवरी वाहन, ब्रिज लेइंग टैंक, 155 एमएम गोलाबारूद हेतु बाई-माड्युलर चार्ज प्रणाली (बीएमसीएस), मध्यम बुलेट प्रूफ वाहन (एमबीपीवी), वेपन लोकेटिंग रडार (डब्ल्यूएलआर), एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली (आईएसीसीएस), साफ्टवेयर डिफाइन्ड रेडियोज (एसडीआर), पायलट रहित लक्ष्य विमान हेतु लक्ष्य पैराशूट, युद्धक टैंकों हेतु आप्टो इलेक्ट्रानिक साइट्स, वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, तटीय गश्ती पोत, अपतटीय गश्ती पोत, फास्ट इंटरसेप्टर बोट, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, 25 टी टग्स, इत्यादि सहित अनेक अत्याधुनिक उत्पादों का उत्पादन किया गया है।

इसके अलावा, हमारे उद्योग द्वारा विकसित और भारत में निर्मित एडवान्स्ड टोड आर्टिलरी गन (एटीएजी) होवित्जर गन दिल्ली के लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी ।

एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स निजी नवाचारकों, आरएण्डडी संस्थानों एवं अकादमियों सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवाचार (आइडेक्स) नामक एक रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की अप्रैल, 2018 में शुरूआत की गई थी । आइडेक्स उन्हें ऐसे नवाचार/आरएण्डडी के लिए अनुदान/वित्त पोषण तथा अन्य सहायता प्रदान करता है, जिन्हें भारतीय रक्षा एवं एरोस्पेस संबंधी आवश्यकताओं के लिए भविष्य में अपनाए जाने की संभावना है ।

आइडेक्स के तहत, 233 समस्याएं प्रस्तुत की गई हैं, 310 स्टार्ट-अप्स को शामिल किया गया है, 140 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं । उच्च कोटि के समाधानों के विकास के लिए 10 करोड़ रु. तक सहायता अनुदान के साथ स्टार्ट-अप्स की सहायता के लिए वर्ष 2022 में आईडेक्स के तहत 'आईडेक्स प्राइम' फ्रेमवर्क लॉंच किया गया है ।

अक्तूबर, 2022 तक, रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली 366 कंपनियों को कुल 595 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं ।

सरकार ने रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में निवेश करने और देश में एक व्यापक रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारों, उत्तर प्रदेश में एक और तमिनाडु में एक गलियारे की स्थापना की है । इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारों ने इन दो गलियारों में मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) सहित निजी कंपनियों के साथ-साथ विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपनी एरोस्पेस एवं रक्षा नीतियों को भी प्रकाशित किया है । दोनों राज्य सरकारों ने पहले ही लगभग 24,000 करोड़ रु. के लगभग कुल मूल्य के निवेश के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए हैं । उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (यूपीडीआईसी) और तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा (टीएनडीआईसी) में क्रमशः 2242 करोड़ रु. और 3847 करोड़ रु. का निवेश किया जा चुका है ।

सरकार ने गत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20 से 2021-22 और चालू वर्ष (2022-23, सितंबर 2022 तक) में पूंजीगत अधिप्राप्ति की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 2,46,989.38 करोड़ रु. मूल्य के 163 प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की है जिससे डीएपी-2020 के अनुसार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

कुल अधिप्राप्ति में घरेलू अधिप्राप्ति के हिस्से में वृद्धि हो रही है । वर्ष 2018-19 में घरेलू अधिप्राप्ति कुल अधिप्राप्ति का 54 प्रतिशत थी, यह आंकड़ा वर्ष 2019-20 में बढ़कर 59 प्रतिशत और 2020-21 में 64 प्रतिशत हो गया । इस वर्ष घरेलू अधिप्राप्ति के लिए यह आंकड़ा 68 प्रतिशत हो गया, इसमें से निजी उद्योग से अधिप्राप्ति के लिए 25 प्रतिशत बजट चिन्हित किया गया है ।

स्वदेशीकरण और घरेलू स्रोतों से रक्षा उत्पादों की अधिप्राप्ति पर सरकार के ध्यान देने के साथ गत 4 (चार) वर्षों अर्थात 2018-19 से 2021-21 में विदेशी स्रोतों से रक्षा अधिप्राप्ति पर होने वाला व्यय 46 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत हो गया है ।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज राज्य सभा में **श्री राकेश सिन्हा** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी राज्य सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीएस

राज्य सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 28, 1944
सोमवारः 19 दिसंबर 2022

देश के रक्षा निर्यात की स्थिति

रक्षा उत्पादन विभाग विशेष रसायनों, जीवाश्मों, सामग्रियों, उपस्करों एवं प्रौद्योगिकियों (स्कॉमेट) की श्रेणी 6 में आने वाली आयुध सूची मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार जारी करता है । वर्तमान में, पूरे विश्व में 75 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है । सामरिक कारणों से इन देशों के नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता । रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा निजी कंपनियों को जारी किए गए निर्यात प्राधिकार के मूल्य और डीपीएसयू/ओएफबी द्वारा किए गए वास्तविक निर्यात/संविदा के आधार पर गत तीन वर्षों का निर्यात मूल्य इस प्रकार है:-

(मूल्य करोड़ रु. में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (आज की तारीख तक)
कुल निर्यात मूल्य (करोड़ रु. में)	9116	8435	12815	6058

सरकार ने देश में रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहलें की हैं और देश में रक्षा विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार किए हैं । इन पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा अर्जन प्रक्रिया (डीएपी)- 2020 के तहत घरेलू स्रोतों से खरीदो भारतीय (आईडीडीएम) श्रेणी में आने वाली पूंजीगत मदों की अधिप्राप्ति को प्राथमिकता प्रदान करना; सेनाओं की कुल 411 मदों की चार 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां' और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) की कुल 3738 मदों की तीन 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' अधिसूचित करना जिसके लिए उनके

समक्ष दर्शाई गई समय-सीमा से आगे आयात पर प्रतिबंध होगा; लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण; औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाली तर्कसंगत रक्षा उत्पाद सूची; स्वचालित रूट के तहत 74 प्रतिशत एफडीआई अनुमत करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का उदारीकरण; मेक प्रक्रिया का सरलीकरण; मिशन डेफस्पेस की शुरूआत स्टार्ट अप्स और सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ रक्षा उत्कृष्टता (आईडेक्स) योजना के लिए नवाचारों की शुरूआत; लोक अधिप्राप्ति (भारत में निर्माण को प्राथमिकता) आदेश 2017 का कार्यान्वयन; एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण की सुविधा के लिए सृजन नामक एक स्वदेशीकरण पोर्टल की शुरूआत; उच्च मल्टीप्लायर्स प्रदान करके रक्षा विनिर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर देने के साथ ऑफसेट नीति में सुधार और दो रक्षा औद्योगिक गलियारों अर्थात एक उत्तर प्रदेश एवं एक तमिलनाडु में, की स्थापना; उद्योग संचालित आरएंडडी के लिए 25 प्रतिशत रक्षा आरएंडडी बजट आवंटित करना और घरेलू स्रोतों से अधिप्राप्ति के लिए सैन्य आधुनिकीकरण के रक्षा बजट आवंटन में निरंतर वृद्धि करना आदि शामिल हैं ।

सरकार ने वर्ष 2024-25 तक रक्षा निर्यात के लिए 5 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु व्यापार करना सुगम बनाने और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने सहित कई सुधार किए हैं:-

(i) विशेष रसायनों, जीवाश्वों, सामग्रियों, उपस्करों एवं प्रौद्योगिकियों (स्कोमेट) की श्रेणी 6 नामक "आयुध सूची" जो अब तक "आरक्षित" थी, को प्रकाशित कर दिया गया है और दिनांक 13 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं. 115(आरई-2013)/2009-2014 के तहत अधिसूचित सैन्य भंडार सूची रद्द हो गई है।

(ii) विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने दिनांक 24 अप्रैल, 2017 की सार्वजनिक सूचना सं.4/2015-20 के तहत रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) को स्कोमेट की श्रेणी 6 में निर्यात मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया है । स्कोमेट की वस्तु पहचान नोट (सीआईएन) के नोट 2 एवं 3 के अंतर्गत आने वाली मदों को छोड़कर श्रेणी 6 (आयुध सूची) में विनिर्दिष्ट मदों का निर्यात अब रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी), रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित है।

(iii) आयुध सूची की मदों के निर्यात के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को सरल बनाया गया है और इसे रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

(iv) निर्यात प्राधिकार अनुमति प्राप्त करने और इसकी प्रोसेसिंग के लिए एक संपूर्ण एंड-टू-एंड ऑन-लाइन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों पर डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किए जाते हैं और प्राधिकार भी शीघ्र ही डिजीटल रूप से जारी किए जाते हैं।

(v) समान कंपनी को उसी प्रकार के उत्पाद के पुनरावृत्ति आर्डरों के संबंध में परामर्श प्रक्रिया को हटा दिया गया है एवं तत्काल अनुमति जारी की जाती है। भिन्न कंपनी को समान उत्पाद के पुनरावृत्ति आर्डर के लिए विगत में सभी हितधारकों के साथ किया जाने वाला परामर्श अब केवल एमईए तक सीमित है।

(vi) अंतर-कंपनी व्यापार में (जो कि रक्षा से संबंधित विदेशी मूल की कंपनी द्वारा भारत में इसकी अनुषंगी के लिए कार्य की आउटसोर्सिंग के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है) आयातक देश की सरकार से वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र (ईयूसी) प्राप्त करने की पूर्व शर्त को समाप्त कर दिया गया है एवं 'क्रेता' कंपनी ईयूसी जारी करने के लिए प्राधिकृत है।

(vii) वैशेनार प्रबंधन (डब्ल्यूए) देशों को इंजीनियरिंग सेवा (आयुध सूची से संबंधित टीओटी) प्रदान करने के मामले में सरकार से हस्ताक्षरित ईयूसी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

(viii) डब्ल्यूए सदस्य देशों को सिविल कार्य के उपयोग के लिए प्रणालियों/प्लेटफार्मों के वैध निर्यात पर विचार किया जाता है बशर्ते कि आयात करने वाले देश की सरकार द्वारा जारी ईयूसी अथवा आयात प्रमाण-पत्र अथवा समतुल्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

(ix) सिविल उपयोग हेतु कलपुर्जों एवं संघटकों के वैध निर्यात को अब एमईए के साथ पूर्व परामर्श के उपरांत डब्ल्यूए देशों को अनुमत किया जा रहा है।

(x) प्रदर्शनी उद्देश्यों हेतु मदों के निर्यात के लिए हितधारकों के साथ परामर्श की शर्त को (चुनिंदा देशों को छोड़कर) समाप्त कर दिया गया है।

(xi) निर्यात के अवसरों का पता लगाने और वैश्विक निविदाओं में साझेदारी हेतु डीआरडीओ एवं डीपीएसयू के सीएमडी को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

(xii) कलपूर्जों एवं संघटकों के लिए नए सरलीकृत अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाण-पत्र फार्मेट को एसओपी में उपलब्ध करवाया गया है।

(xiii) कलपूर्जों एवं संघटकों के निर्यात प्राधिकार की वैधता को दो वर्षों से आर्डर/घटक के पूर्ण होने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक बढ़ा दिया गया है।

(xiv) वारंटी बाध्यता के तहत घटक के लिए प्रतिस्थापन प्रदान करने के लिए मरम्मत अथवा पुनः कार्य करने के लिए कलपुर्जों एवं संघटकों के पुनः निर्यात हेतु एक नया प्रावधान रिपीट आर्डरों के उपवर्गीकरण के रूप में एसओपी में शामिल किया गया है।

(xv) गृह मंत्रालय ने दिनांक 1.11.2018 की अधिसूचना के तहत लघु शस्त्रों के कलपूर्जों एवं संघटकों के लिए फार्म X-ए में शस्त्र नियमावली, 2016 के अंतर्गत निर्यात अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु रक्षा उत्पादन विभाग को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी है । इससे रक्षा उत्पादन विभाग लघु शस्त्रों और गोला-बारूद के कलपूर्जों एवं संघटकों के निर्यात के लिए निर्यातक हेतु एकमात्र सम्पर्क स्थल बन गया है।

(xvi) सरकार ने खुला सामान्य निर्यात लाइसेंस (ओजीईएल) - एक बारगी निर्यात लाइसेंस को अधिसूचित किया है जो उद्योग को ओजीईएल की वैधता के दौरान निर्यात प्राधिकार प्राप्त किए बगैर ओजीईएल में उल्लिखित विनिर्दिष्ट स्थानों पर विशिष्ट मदों का निर्यात करने की अनुमति प्रदान करता है। ओजीईएल को एंड टू एंड ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा गया है।

(xvii) भावी निर्यातकों को अपने उत्पाद सरकार द्वारा प्रमाणित कराने के लिए एक अवसर प्रदान करने हेतु रक्षा निर्यात संवर्धन योजना अधिसूचित की गई है और यह योजना उत्पाद की आरंभिक वैधता एवं बाद के फील्ड परीक्षणों के लिए रक्षा मंत्रालय की परीक्षण अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करती है । भावी निर्यातक द्वारा अपने उत्पादों की वैश्विक बाजार में उपयुक्त रूप से मार्केटिंग करने के लिए इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(xviii) विभिन्न देशों से प्राप्त पूछताछ सहित निर्यात से संबंधित कार्रवाई के बारे में समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा निर्यात संवर्धन के लिए निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की सहायता के लिए रक्षा उत्पादन विभाग में एक पृथक प्रकोष्ठ बनाया गया है।

(xix) रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग से सक्रिय भागीदारी के साथ उद्योग और विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से डीडीपी, रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में मित्र देशों (एफएफसी) के साथ नियमित वेबिनारों का आयोजन किया जा रहा है।

(xx) रक्षा अताशे को उन देशों में जिससे वे संबद्ध हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों भारतीय रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना अधिसूचित की गई है।

(xxi) मित्र देशों को प्रमुख स्वदेशी रक्षा प्लेटफार्मों के निर्यात के लिए स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने की सुविधा के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) गठित की गई है।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज राज्य सभा में **श्री सुजीत कुमार** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी राज्य सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीएस